संसद और अदालतें एक-दूसरे के खिलाफ नहीं

संविधान के तहत संतुलन बनाए रखना जरूरी : धनखड़

लोकतंत्र में सभी संस्थाओं को सहयोग से काम करना चाहिए

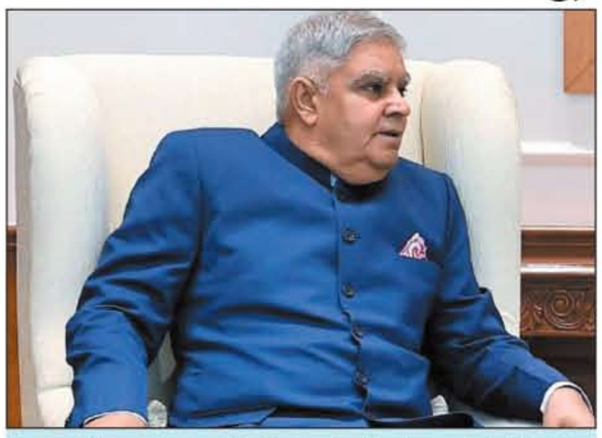

नई दिल्ली, 26 मार्च. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं और उन्हें नियंत्रण और संतुलन के साथ मिलकर काम करना होगा.

उन्होंने, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित घर पर नोटों की गड्डियां मिलने पर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में न्यायपालिका और विधायिका के अधिकारों पर चर्चा करने के लिए कल मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की शाम साढ़े चार बजे एक बैठक बुलाई थी.

इस बैठक के बारे में आज उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा ''मुझे सदन को यह बताना है कि कल हमने, जनता के मन को झकझोर देने वाले इस मुद्दे पर बहुत ही सार्थक बातचीत की.'' कल संपन्न हुई इस बैठक में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे. सभापति ने बैठक का विस्तृत ब्यौरा न देते हुए कहा कि विचार-विमर्श आम सहमति से हुआ, जिससे सहयोग और चिंता का पता चलता है.

उन्होंने कहा, यह मुद्दा निस्संदेह काफी गंभीर है. हम तीनों ने मिलकर घटनाक्रम पर ध्यान दिया और पहली बार अभूतपूर्व तरीके से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सब कुछ सार्वजनिक डोमेन में रखने की पहल की, लेकिन फिर विपक्ष के नेता की ओर से एक सुझाव आया और सदन के नेता ने भी इस पर सहमति जताई कि इस मुद्दे पर मेरे कहने पर सदन के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है.

धनखड़ ने कहा ''ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं.'' धनखड़ ने कहा, ''देश में सभी संस्थाओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा... और साथ ही, निगरानी और संतुलन भी होना चाहिए, जिसका उद्देश्य अच्छा है.'' बैठक में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा दिए बिना, सभापति ने कहा कि सदन के नेता और विपक्ष के नेता दोनों ने कहा कि अपने-अपने दलों के भीतर व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद, वे आगे की चर्चा के लिए उनके पास आएंगे. उन्होंने कहा, ''सदन के नेता और विपक्ष के नेता दोनों ने अन्य नेताओं के साथ अपने विचार साझा करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है.''

ओडिशा विधानसभा में हंगामा, 14 विधायक निलंबित

भुवनेश्वर, 26 मार्च (वार्ता) ओडिशा विधानसभा गेट के पास बुधवार को विपक्षी कांग्रेस और बीजू जनता दल (बीजद) सदस्यों का उग्र विरोध प्रदर्शन अराजकता में बदल गया. उत्तेजित कांग्रेस सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पार्टी के 12 विधायकों के निलंबन का विरोध करने के लिए विधानसभा में प्रवेश करने की कोशिश में बैरिकेड्स तोड़ दिए. जबकि बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में शोरगुल के बाद बीजद सदस्यों ने भी विधानसभा परिसर से बाहर जाने के लिए बैरिकेड्स तोड़ दिए. अराजक विरोध के बाद दो कांग्रेस विधायकों, तारा प्रसाद बहिनीपति और रमेश जेना को विधानसभा में प्रवेश करने की अनुमति दी गई.

मुसलमानों को भड़काता है विपक्ष

सीएम योगी ने आगरा में संत समाज को किया संबोधित

आगरा, 26 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां कहा कि विपक्ष मुसलमानों को भड़काता है. विदेशी आक्रांताओं ने आस्था का अपमान किया था. उन्होंने यहां के मंदिरों को तोड़ा और भारत का खजाना लूटा. यह बात सभी को समझनी चाहिए.

मुख्यमंत्री यहां राजामंडी स्थित दरियानाथ मंदिर में ब्रह्मलीन संत योगी सिद्धनाथ महाराज के शंखढाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. योगी आदित्यनाथ नाथ सम्प्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यह मंदिर नाथ सम्प्रदाय का है. दरियानाथ मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सजी-धजी एक बग्गी में बैठाकर मंदिर तक लाया गया. इस दौरान मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को सजाया गया था. कार्यक्रम में मौजूद साधु-संतों का योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि वे सनातनी विरासत को सहेजने के लिए आगे आएं.

उन्होंने कहा हमने समाज और संतों को जोड़ने का काम किया है. अब संत सनातनी विरासत को सहेजें. उन्होंने संत समाज से यह भी अपील की कि वे मोबाइल फोन का कम से कम उपयोग करें. मोबाइल फोन में हम सभी को जो भी दिखाया जा रहा है, वह सही हो, यह जरूरी नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि पांच सौ साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो अब सब कुछ संभव है. उत्तर प्रदेश में हमने वह कर दिखाया है, जिसे लोग असंभव कहते थे. राज्य में अराजक तत्वों का डिमांड के हिसाब से इलाज होगा. जो जैसे समझेगा, उसे वैसे ही समझाएंगे.

सनातन धर्म के सुरक्षित होने से ही राष्ट्र की सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहे जिस पूजा पद्धति को मानें अथवा किसी भी मठ या सम्प्रदाय से जुड़े हों, हमारी सुरक्षा तभी सुनिश्चित है जब सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा. सनातन धर्म की सुरक्षा की राष्ट्र की सुरक्षा पर निर्भर करती है. योगी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ से दुनिया को एकता का संदेश गया है. यह सनातनी ही विरासत थी कि हम इतना भव्य आयोजन कर सके.

सशस्त्र बलों में भेदभाव स्वीकार्य नहीं

- रिटायर्ड जवानों से मिले, सुविधाओं पर चर्चा
- पेंशन, कल्याण योजनाओं में भेदभाव पर जताई चिंता
- बोले- जवानों को पूरा सम्मान और न्याय दिलाने

नयी दिल्ली, 26 मार्च (वार्ता) लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को यहां संसद भवन परिसर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और कहा कि सशस्त्र बलों में भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा. गांधी ने कहा कि देश का हर जवान राष्ट्र की सेवा का प्रहरी है और उनके समर्पण पर देश के सभी लोगों को गौरव है. देश सेवा को समर्पित इन जवानों की सेवाओं पर हर नागरिक को गर्व है. उन्होंने देश की सेवा की है इसलिए केंद्रीय बलों के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी तरह का भेदभाव ठीक नहीं है. उन्होंने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा संसद भवन में छह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के रिटायर्ड जवानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई. अपनी मांगों को लेकर एक विस्तृत चर्चा में उन्होंने बताया कि उन्हें मिलने वाली कल्याण योजनाओं और सेवानिवृत्ति के लाभ उनकी सेवा के अनुरूप पर्याप्त नहीं हैं.

बोल्सोनारो की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

ब्रासीलिया, 26 मार्च (वार्ता) ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर वर्ष 2022 के चुनाव परिणामों को पलटने की साजिश रचने के आरोपों को खारिज करने के प्रयास को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया. बोल्सोनारो और सात अन्य पर राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा से हारने के बाद उन्हें सत्ता में बनाए रखने की योजना बनाने का आरोप है. बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को महत्वपूर्ण सबूतों तक पहुँच से वंचित रखा गया और उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित जाँचों का निशाना बनाया गया.

बांग्लादेश को राष्ट्रपति और पीएम मोदी की शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 26 मार्च. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर वहां की जनता और नेतृत्व को शुभकामनाएं दीं.

मुर्मु ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति शाहाबुद्दीन को भेजे एक संदेश में कहा, भारत सरकार, जनता और मेरी ओर से बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर आपको और बांग्लादेशी नागरिकों को हार्दिक बधाई देती हूं.

आज का इतिहास

2002 एक आत्मघाती बम हमलावर ने तान्या इसराइल में 29 लोगों को मारा.

2003 रूस ने घातक टोपोल आर एस-12 एम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया.

2008 अंतरिक्ष यान एंडेवर पृथ्वी पर सफलतापूर्वक सुरक्षित लौटा.

2010 भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर परमाणु प्रौद्योगिकी से लैस प्रक्षेपास्त्र धनुष और पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया.

2011 जापान के फुकुशिमा में भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र की एक इकाई में रेडियोधर्मी विकिरण सामान्य से एक करोड़ गुना अधिक पाया गया.

2014 अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहली बार पोप फ्रांसिस से मिलने वैटिकन सिटी गए.

अमृत सरोवर परियोजना में सफलता

देश में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर पूरे : केंद्र

नई दिल्ली, 26 मार्च. अमृत सरोवर योजना के तहत देश में 20 मार्च 2025 तक 68,000 से अधिक अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

दरअसल, सरकार की इस पहल ने जल की कमी की समस्या को हल करने और विभिन्न क्षेत्रों में सतही और भूमिगत जल की उपलब्धता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ये जलाशय न केवल तात्कालिक जल आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि सतत जल संसाधनों की स्थापना का भी प्रतीक हैं.

भावनगर की ट्रेनें फिर सूरत से चलेंगी

भावनगर, 26 मार्च (वार्ता) पश्चिम रेलवे में गुजरात के उधना स्टेशन पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित भावनगर मंडल की अधिकांश ट्रेनों का सूरत स्टेशन से परिचालन फिर से शुरू होगा. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक माशूक अहमद की ओर से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिम रेलवे में गुजरात के सूरत स्टेशन का पूर्ण रूप से कायाकल्प हो रहा है और इसे विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर
सूचना (नोटिस) (सामान्य फार्म)
Process Id: 21712/2025
MP/2139/2019
Lrs Respondent No. 5 (a)
Against Admission and I.R.
for 15-04-2025 C.O. for 11/03/2025 Notice returnable before 15-04-2025
अपीलार्थी/आवेदक NIGHATJAHA
V/s
प्रत्यर्थी/अनावेदक KANAKMAL and Others
प्रति- Anzar Ahmad @ Babbu s/o Askar Ahmad, R/o 21, Chawani Jaora, Ratlam, District-Ratlam (Madhya Pradesh)
चूंकि उपर्युक्त मामले में श्रीPetitioner द्वारा Admission and I.R. के लिए आवेदन किया गया है।
अत: सूचित हो कि इंदौर में आपकी उपस्थिति के लिए 15.04.2025 नियत किया गया है और यहकि यह मामला उसदिन या उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, आपका वकील या इस मामलेमेंआपके लिए कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ तो इसकी आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा।
कृपया इस बात में भी सूचित हो कि अपील/पुनरीक्षण/प्रकीर्ण सिविल मालने में मृत प्रत्यर्थी के लिए आपको वैध प्रतिनिधि प्रतिस्थापित करने का आदेश पारित किया जाता है और यदि इसके बाद आपकी ओर से आप या उसके वकील या आपकी ओर से कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो अपील/पुनरीक्षण / प्रकीर्ण सिविल मामले की आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा।
आज दिनांक.21.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की मुहर से दिया गया।
मुद्रा
उच्च न्यायालय के आदेश से
प्रधान सहायक न्यायिक शाखा

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर
सूचना (नोटिस) (सामान्य फार्म)
Process Id: 21713/2025
MP/2139/2019
Lrs Respondent No. 5 (b)
Against Admission and I.R.
for 15-04-2025 C.O. for 11/03/2025
Notice returnable before 15-04-2025
अपीलार्थी/आवेदक NIGHATJAHA
V/s
प्रत्यर्थी/अनावेदक KANAKMAL and Others
प्रति- Julphikar Ahmad s/o Askar Ahmad, R/o 21, Chawani Jaora, Ratlam, District-Ratlam (Madhya Pradesh)
चूंकि उपर्युक्त मामले में श्रीPetitioner द्वारा Admission and I.R. के लिए आवेदन किया गया है।
अत: सूचित हो कि इंदौर में आपकी उपस्थिति के लिए 15.04.2025 नियत किया गया है और यहकि यह मामला उसदिन या उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यदिआपकी ओर से आप स्वयं, आपका वकील या इस मामलेमेंआपके लिए कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ तो इसकी आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा।
कृपया इस बात में भी सूचित हो कि अपील/पुनरीक्षण/प्रकीर्ण सिविल मालने में मृत प्रत्यर्थी के लिए आपको वैध प्रतिनिधि प्रतिस्थापित करने का आदेश पारित किया जाता है और यदि इसके बाद आपकी ओर से आप या उसके वकील या आपकी ओर से कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो अपील/पुनरीक्षण / प्रकीर्ण सिविल मामले की आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय दिया जाएगा।
आज दिनांक.21.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की मुहर से दिया गया।
मुद्रा
उच्च न्यायालय के आदेश से
प्रधान सहायक न्यायिक शाखा

न्यायालय तहसीलदार, तहसील भिचौली हप्सी क्षेत्र, जिला इंदौर
क्रमांक/491/रीडर/2025 — इंदौर, दिनांक : 26.03.2025
प्र.क्र. : 0115/अ-20(3)/2024-25
उद्घोषणा
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/संस्था का नाम औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग 282 भोपाल शहर वृत्त भोपाल द्वारा **औद्योगिक विकास हेतु ग्राम सनावदिया** स्थित भूमि सर्वे नंबर 3, रकबा 1.214 हे. भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
उक्त भूमि आवंटन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो वह **दिनांक 09.04.2025 तक** अपनी आपत्ति स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी।
पद मुद्रा
तहसीलदार
म.प्र. माध्यम/119411/2025 — तहसील भिचौली हप्सी, इंदौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(उद्यान विभाग सिविल मुख्यालय)
E-mail: gardendepartmentcivil@gmail.com
निविदा विज्ञप्ति क्र.: 62/उ.सिविल/24-25/जी-01 — निविदा आमंत्रण — दिनांक: 26.03.2025
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Road & Bridge, SOR/ NON SOR, DATE 02.08.2021 पर आधारित) ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	टेंडर आईडी	कार्य का नाम	कार्य की समयवधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा क्रय करने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	2025_UAD_412490_1	झोन क्रमांक 21 वार्ड क्रमांक 79 के अंतर्गत पुलक सिटी बी. में 608 म.नं. के सामने स्थित भूमि पर गार्डन का निर्माण करना।	120 दिवस ₹13,60,433/-	₹2,000/- ₹10,250/-	28.04.2025 6.00 PM 01.05.2025

नोट : निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन **https://mptenders.gov.in/** की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।
कार्यपालन यंत्री
उद्यान सिविल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

VISTAAR FINANCE
विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नं.59 एवं 60-23-22वा क्रॉस, 29वी मैन बीटीएम, दूसरी स्टेज, बैंगलोर 560076 www.vistaarfinance.com
परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखे]
आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के सिक्योराईटाईजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट, 2002 के तहत **विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **ऋणी(यों) श्री अमजद शाह एवं रुखसार बी, ऋण खाता सं. 0106SBML03523** को दिनांक **09-01-2025** को जारी मांग सूचना एवं मांग सूचना द्वारा उल्लेखित राशि दिनांक 06-01-2025 के अनुसार **रुपये 20,18,912/- (रुपये बीस लाख अठ्ठारह हजार नौ सौ बारह मात्र)** इस नोटिस की प्राप्ति से **60 दिवस** के भीतर को चुकाने के लिए अगाह किया था।
ऋणी राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, ऋणी एवं आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उप-नियम के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 के साथ पठित **24 मार्च 2025** को नीचे वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक कब्जा** अधिग्रहण कर लिया है।
ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार **06-01-2025** के अनुसार राशि **रुपये 20,18,912/- (रुपये बीस लाख अठ्ठारह हजार नौ सौ बारह मात्र)** एवं वास्तविक भुगतान तक उस पर भावी ब्याज एवं अन्य अधिभारों के लिए **विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** के विषयांतर्गत होगा।
ऋणकर्ताओं के ध्यानार्थ अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय सीमा में सुरक्षित संपत्तियों को वापस प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।
अचल संपत्ति का विवरण
अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, सर्वे नंबर 109/1/2/ जिसमें जमीन का एक भाग, ग्राम भेसुनी (विजयगंजमंडी देवास रोड पार) प.ह.नं. 10, सरल नंबर 840 तहसील एवं देवास म.प्र. स्थित, क्षेत्रफल 0.20 हेक्टेयर है [जमा शीर्षक विलेख नं. MP108942022A11194300 दिनांक 30-11-2022], **चर्तुसीमाएँ:**- पूर्व- रामचंद्र का प्लॉट, पश्चिम- परमानंद का प्लॉट, उत्तर- कॉमन वे, दक्षिण- विष्णु का प्लॉट, मूल **विलेख क्रमांक MP108942022A1621370 मदनलाल जी शर्मा द्वारा अमजद शाह पुत्र छोटू शाह के पक्ष में दिनांक 10-6-2022 को निष्पादित**
दिनांक : 24-03-2025 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : देवास — विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

ROHA HOUSING FINANCE — GROW WITH YOUR OWN HOME
रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड
कॉर्पोरेट ऑफिस : युनिट नं. 1117 एवं 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301.
आधिपत्य सूचना (प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के अतंर्गत)
रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड ("RHFPL" के रूप मे संदर्भित) पंजीकृत कार्यालय : जजेटी हाउस, ए44/45, रोड़ नं.2, एमआईडीसी, अंधेरी इस्ट, मुम्बई -400093 के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणी(यों)(नीचे वर्णित नाम एवं पता) से उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर निम्न वर्णित ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी। चूंकि नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **भौतिक आधिपत्य** प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है। नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड के ऋणी(यों) के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे।

ऋणीयों / सह-ऋणीयों के नाम/ ऋण खाता सं./शाखा	संपत्ति का विवरण	मांग पत्र की दिनांक एवं बकाया राशि	आधिपत्य की दिनांक
लेन: HLUJNCSCON000005012964 / शाखा: उज्जैन सर्विस 1. श्री ऊँकार सिंह पिता कोदाजी (ऋणी) 2. श्रीमती प्रेम बाई पति ऊंकार सिंह (सह-ऋणी) पता 1: ग्राम सुवागांव, तराना, मध्य प्रदेश - 456770 पता 2: मकान नंबर 26, पटवारी हलका नंबर 23, भूमि सर्वे नंबर 150 का भाग, ग्राम सुवागांव, ग्राम पंचायत बेरछी, तहसील तराना, जिला उज्जैन, तराना, मध्य प्रदेश-456770	अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश मकान नंबर 26, जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट (167.28 वर्ग मीटर), उक्त भूमि का अविभाजित भाग एवं परिसर/कैम्पस के सभी आंतरिक एवं बाहरी अधिकार, मकान नंबर 26, पटवारी हल्का नंबर 23 ग्राम सुवागांव, ग्राम पंचायत बेरछी के ज्ञात आवासीय उपयोग के लिए गैर-कृषि भूमि पर निर्मित, सर्वे नंबर 150, ग्राम सुवागांव, ग्राम पंचायत बेरछी तहसील तराना जिला उज्जैन मध्य प्रदेश- 456770 **चर्तुसीमाएँ निम्नानुसार:**- पूर्व: नागू सिंह का मकान, पश्चिम: सड़क, उत्तर: बंशीलाल पिता देवीसिंह की खुली भूमि, दक्षिण: 5 फीट गली एवं भगवान सिंह का मकान	15-07-2024 एवं ₹ 4,25,678/-	21-03-2025

स्थान : मध्यप्रदेश — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 27-03-2025 — तर्फे - रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, येस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर-452001
अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिवसीय ई-नीलामी सूचना
एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **29-04-2025** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **29-04-2025** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **28-04-2025** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड़, इंदौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	कब्जे का प्रकार	दिनांक 20-03-2025 तक बकाया
1	9086988	1. श्री अरुण प्रसाद सिंहा 2. श्रीमती चित्रा चौधरी (सिंहा), श्री नागेन्द्र प्रसाद	₹ 53,07,271/- (रूपये त्रिपेन लाख सात हजार दौ सौ इक्कोत्तर) एवं दिनांक 11.06.2024	रू. 90,47,000/- (रूपये नब्बे लाख सैंतालिस हजार मात्र)	रू. 9,04,700/- (रूपये नौ लाख चार हजार सात सौ मात्र)	भौतिक	रू. 59,48,711/- (रूपये उनसाठ लाख अड़तालिस हजार सात सौ ग्यारह मात्र) की राशि

अचल संपत्ति का विवरण: अनुसूची ए: प्लॉट नंबर बी-10/14, सीनियर एमआईजी महानंदा नगर, सेक्टर बी, उज्जैन बस स्टैंड के पास नानाखेड़ा, उज्जैन- 456010, मध्य प्रदेश, **चर्तुसीमाएँ:**- पूर्व- प्लॉट नंबर 10/15, पश्चिम - प्लॉट नंबर बी-10/13, उत्तर - प्लॉट नंबर बी-10/6 एवं 7, दक्षिण - 18.00 मीटर चौड़ी सड़क,
नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।
बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:
कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल http://bankauctions.in/ के माध्यम से दिनांक 29-04-2025 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।
नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रू.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। **आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी** के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारों को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **21-04-2025** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण अथवा संभावी निविदाकार को ई-नीलामी पर प्रक्रिया आनलाईन प्रशिक्षण के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, छटी मंजिल मैत्रीवनम कमर्शियल कॉम्पलेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 ईमेल आईडी: info@bankauctions.in या मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 8588983696 से संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.li/chuxut** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**
कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान : इन्दौर
दिनांक : 27.03.2025 — टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.